छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–अप्रैल,2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020 (फाल्गुन 8,1941)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017–2018 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य, जिला बलरामपुर के ग्राम टांगरमहरी में एक बालिका के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में राशन कार्डों की छपाई तथा वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा अंतर्गत ग्राम कुरमा में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(2) श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य, जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भोथीडीह में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने,

क्रमशः 2

(3) सुश्री शकुन्तला साहू, सदस्य, कसडोल विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम जर्वे में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने तथा

(ii) खरतोरा टैंक एवं केनाल का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

6. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, द्वारा सोमवार, दिनांक 24 फरवरी,2020 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश) :–

"माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 26 फरवरी, 2020